संख्या-  /2420/33-3-2014-100(12 )/2014

प्रेषक,

राकेश कुमार
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर,2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2012-13 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स की व्यवस्था को पूर्ण कराने हेतु वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-14 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 38.423 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या-447/66-2012-05/2012, दिनंाक 17-05-2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 1266/33-2-2012-4आर0डी0/12, दिनांक 13 जून, 2012, शासनादेश संख्या- 89/33-3-2013-100(20)/2012, दिनांक 28 जनवरी, 2012 तथा शासनादेश संख्या-366/33-3-2013-100(20)/2012, दिनांक 06 जनवरी, 2013 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत 2014-15 में उक्त योजना के लिए प्रावधानित 30000.00 लाख में से शासनादेश संख्या-917/33-3-2014-100(12)/2014, दिनांक 11 जून, 2014 द्वारा रू0 10000.00 लाख अवमुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवशेष धनराशि रू0 20000;00 लाख में से शासनादेश संख्या- 5/2022/33-3-2014-100(12)2014, दिनांक 29-09-2014 वित्तीय वर्ष 2013-14 के अवशेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु रू0 19961.577लाख अवमुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष 2012-13 के अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने हेतु रू0 38.423 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2014-15 में प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व निदेशक, पंचायती राज स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2014-15 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014, वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26 अगस्त, 2014 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित जिलाधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अध्ष्ठिान व्यय की

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054'सडक तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों -01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य प्राप्तियों -02-प्रतिशतता प्रभारी की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीक़ति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पंचायती राज-06-सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स की व्यवस्था- 24-ब्रहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) शासकीय व्यय में मितब्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितब्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(11) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीक़ति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(12) उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक,पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

2- यह ओदश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-897ई-2/दस-2014 दिनांक 15.10.2014 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

( राकेश कुमार )
संयुक्त सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग,उ0प्र0शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त संबंधित जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- समस्त संबंधित मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.